न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :— यशपाल आहुजा आर.ए.एस.

अनवान :— राजस्व वाद संख्या :— 013/2016

1. प्रीतपालसिंह पुत्र हरदयालसिंह जाति जटसिख आयु 23 वर्ष निवासी 3 एफ छोटी ढ़ाणी शोभासिंह वाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

— — वादी

—:: बनाम ::—

1. सरजीतकौर पत्नि हरदयालसिंह जाति जटसिख निवासी 3 एफ छोटी ढ़ाणी शोभासिंह वाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. शरणजीतकौर पुत्री हरदयालसिंह पत्नी गुरवीरसिंह जाति जटसिख आयु 25 वर्ष निवासी 2 के.के. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरियें तहसीलदार राजस्व, श्रीगंगानगर

— — प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम घोषणा एवम् बरबिनाए साक्ष्य हर किस्म।

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1.	श्री सतपालसिंह ढिल्लो अधिवक्ता	वादी
2.	श्री राकेश कुमार अधिवक्ता	प्रतिवादी संख्या 1
3.	श्री गुरदाससिंह ढिल्लो अधिवक्ता	प्रतिवादी संख्या 2
4.	पैरोकार राज	प्रतिवादी संख्या 3

—:: निर्णय ::—

दिनांक :— 25.05.2018

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 92ए आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि प्रतिवादी संख्या 1 वादी की माता व प्रतिवादी संख्या 2 वादी की सगी बहन है तीनों का संयुक्त हिन्दु खानदान होनें के कारण तथा परिवार की मुखिया प्रतिवादी संख्या 1 होनें के कारण जद्दी जायदाद की आय से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक 5 ए छोटी तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 40/10, 26 मुरब्बा नम्बर 3 के 6.325 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 4 के 0.949 हैक्टर कुल 7.274 हैक्टर नहरी कृषि भूमि बनाई गई जिसकी जमाबन्दी की नकल शामिल है अतः वादी का जन्म से हक व हिस्सा बना।

प्रतिवादी संख्या 2 का विवाह उपरोक्त कृषि भूमि की आय से किया गया तथा वह अपनें घर में खुश व आबाद है तथा उसके द्वारा उपरोक्त भूमि में से अपना हक व हिस्सा वादी के हक में छोड़ दिया गया अतः वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 1 उक्त भूमि के हकदार रहे।

प्रतिवादीया संख्या 1 नें कुछ समय पूर्व अपनी स्वेच्छा से पारिवारिक समझौता द्वारा संयुक्त हिन्दु खानदान की अन्य सम्पत्ति नगदी व जेवरात के रूप में अपना हक हिस्सा प्राप्त कर उक्त आराजी वादी के हक हिस्सा की मानकर वादी को सम्भाल दी तब से वादी अकेला उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार तथा हकदार है तथा मौके पर अकेला काबिज चला आ रहा है।

प्रतिवादी संख्या 1 कुछ गलत लोगों के प्रभाव में आई हुई है तथा उपरोक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से होनें का अनुचित लाभ उठाकर वह भूमि को मुन्तकिल करना

तथा जिन लोगों के अनुचित प्रभाव में है वह उपरोक्त भूमि हड़पनें की कोशिश में है, यदि वह इसमें सफल हो गई तो वादी को ना पूरा होनें वाला नुकसान होगा तथा अपनें अधिकारों की घोषणा करवाना एवम् डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा भी जारी करवाना आवश्यक हो गया है।

वादी नें प्रतिवादी संख्या 1 से बार बार आग्रह किया कि वह वादी को पारिवारिक समझौता के आधार पर चक 5 ए छोटी तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 40/10, 26, 34 मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 1 ता 25 की 6.325 हैक्टर तथा मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20/1 की 0.949 हैक्टर कुल 7.234 हैक्टर नहरी का खातेदार मानकर राजसव रिकार्ड में वादी के नाम से दर्ज करवाये तथा उपरोक्त रकबा को किसी को रहन बैय मुन्तकिल करनें तथा वादी को बेदखल करनें से बाज व ममनु रहे मगर प्रतिवादी संख्या 1 टालमटोल करते हुए दिनांक 19.01.2016 को साफ इन्कारी है। अतः यही बिनाय मुखास्मत है तथा दावा हाजा लाना आवश्यक हो गया है।

अतः वाद वादी पेश कर अर्ज है, कि वाद वादी बहस वादी खिलाफ प्रतिवादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

(क) डिक्री घोषणा इस अमर की सादिर की जावे कि वादी पारिवारिक समझौता के आधार पर चक 5 ए छोटी तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 40/10, 26, 34 मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 1 ता 25 की 6.325 हैक्टर तथा मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20/1 की 0.949 हैक्टर कुल 7.274 नहरी का खातेदार काश्तकार व हकदार काबिज है अतः प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाकर वादी के नाम से भूमि दर्ज करनें का आदेश फरमाया जावे।

(ख) खर्चा मुकद्मा दिलाया जावे।

(ग) अन्य कोई अनुतोष जो वादी के हित में हो वह भी प्रदान किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा जरिये अधिवक्ता द्वारा जबाबदावा प्रस्तुत किया गया जबाब दावा में कथन किया गया कि प्रतिवादी संख्या 1 वादी की माता व प्रतिवादी संख्या 2 वादी की सगी बहन है, तथा प्रतिवादी संख्या 1 परिवार की मुखिया होनें के कारण जद्दी जायदाद की आय से उसके नाम से मद हाजा में दर्ज कृषि भूमि 7.374 हैक्टर बनाई गई है व इसी भूमि की आय से प्रतिवादी संख्या 2 का विवाह किया गया है तथा वादी का इस भूमि में जन्म से हक हिस्सा बनता है।

प्रतिवादी संख्या 2 की शादी उक्त जद्दी जायदाद की आय से की गई है तथा वह अपनें सुसराल में खुश व आबाद है तथा उसने अपना हक हिस्सा वादी यानि अपनें भाई के हक में छोड़ा हुआ है।

प्रतिवादी संख्या 1 नें अपनी स्वेच्छा से पारिवारिक समझौता में उक्त भूमि वादी को दे दी है तथा अपना हक हिस्सा अन्य सम्पत्ति नगदी जेवरात आदि के रूप में जो कि संयुक्त परिवार की सम्पत्ति थी के रूप में प्राप्त कर लिया तथा उक्त भूमि का वादी अकेला खातेदार काश्तकार काबिज व हकदार है।

कुछ गलत लोगों नें प्रतिवादी संख्या 1 को बहका लिया था उनके बहकावें में आकर उसनें भूमि को मुन्तकिल करनें की कोशिश की मगर पंचायत होनें पर प्रतिवादी संख्या 1 को अपनी गलती का अहसास हो गया व उसको उक्त भूमि वादी अकेले के नाम से खातेदारी दर्ज करने में कोई आपत्ति नहीं रही है तथा ना ही वह अब भूमि को मुन्तकिल करेगी ना ही उसका कोई हक तालुक वास्ता ही ना ही होगा।

दावा की मद संख्या 8 भी कानुनी है चाहा गया अनुतोष वादी के हक में दिये जाने पर हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है वास्तव में भूमि चक 5 ए छोटी के खाता संख्या 4/10, 26, 34 मुरब्बा नम्बर 3 की 6.325 हैक्टर व 4 की 0.949 हैक्टर कुल 7.274 हैक्टर को वादी के नाम से खातेदारी दर्ज करनें में हमें कोई आपत्ति नहीं है